

प्रेषक,

मोहन लाल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उ०प्र०,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

विषय— चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में आई०सी०एम०आर०टी०, लखनऊ को शासन द्वारा
देय सदस्यता शुल्क की द्वितीय किरत की स्वीकृति।

लखनऊ : दिनांक: ०७ अक्टूबर, 2010.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-146/शिक्षा 2010-11, दिनांक 22 सितम्बर,
2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०सी०सी०एम०आर०टी०,
लखनऊ को शासन द्वारा देय वार्षिक सदस्यता शुल्क/अनुदान के रूप में चालू वित्तीय
वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में प्राविधिक धनराशि रु० 10.00 लाख (रुपये दस लाख
मात्र) के सापेक्ष रु० 5.00 लाख(रुपये पाँच लाख मात्र) की द्वितीय किरत की स्वीकृति श्री

राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

2— उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान

व्यवस्था/नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3— उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय
उपलब्ध कराया जायेगा।

4— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 आय-व्ययक के अनुदान
संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425—सहकारिता-आयोजनेतर-00-003-प्रशिक्षण-05
—सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान-00-20—सहायक अनुदान/अंशादान

—राज सहायता के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

/राज सहायता के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-650/दस-2010, दिनांक

05 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

संख्या-3018(1) / 49-3-2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— महालेखाकार प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3— वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।

4— वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियाँ, उ०प्र०, लखनऊ।

5— निदेशक, आई०सी०एम०आर०टी०, लखनऊ।

6— मो० आसिफ खँ, प्रभारी निकनेट सेल, कृषि उत्पादन शाखा, लखनऊ।

7— गार्ड फाईल।

वेब मास्टर, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजनाथ)

अनु सचिव।